



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**  
**पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,**  
**लो0नि0वि0, कालसी**

Email:-

eepmgsykalsi@rediffmail.com

Tel:- 01360-275015

पत्र सं०: 227 / 22सी

दिनांक: 19 / 02 / 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

**विषय:-** जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.500 कि.मी.) हेतु 3.0835 हे० हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

**संदर्भ:-** FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 26.06.2018 तथा इ.डी.एस आपत्ति दिनांक 05.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की आपत्तियों का निराकरण निम्न अनुसार किया जा रहा है:

| क्र. सं. | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | CA site suitability certificate is not found uploaded. State Government may upload the CA site suitability certificate.                                                                                                                                                                                                                                                  | CA site suitability certificate को additional information में upload कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.       | Name of proposal is not mention in authority letter. State Government may mention the name of proposal and upload/submit the same at para-A-3 (xvii) of Part-I.                                                                                                                                                                                                          | Authority letter में proposal का नाम अंकित कर दिया गया है तथा para A-3 (xvii) of Part-I. esa upload कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.       | On perusal of KML file, starting point of the proposed road is not connecting with any road. The proposed alignment in the starting going through reserve forest area however plenty of non forest land available parallel to the road. State Govt. may submit the justification in this regard.                                                                         | कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग का Starting point त्यूनी कथियान मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है किन्तु dense forest होने के कारण झडर में स्पष्ट रूप से नहीं दिखायी दे रहा है।                                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | It is seen from KML file of the proposed road that the end point of the road is connected to an existing road. The locatin Dirnad shown in KML file is also seen connected to an existing road. Hence, the third connectivity that too involving 1.645 of RF land doesn't appear to be justified. State Govt. may submit the clear justification in this regard.         | कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग का प्रस्तावित समरेखण जो कि पूर्व में कटिंग एलवीआर में ही है, जिसमें पेड़ों की गणना भी कम है अन्तिम छोर पर यह किसी अन्य मोटर मार्ग नहीं जोड़ रही है चूंकि यह सड़क 3 कि.मी. नाप लैण्ड में ही प्रस्तावित है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह किसी दूसरे मोटर मार्ग को जोड़ रही है। पूर्व में यह एलवीआर कटी हुयी है जिसमें मोटर मार्ग प्रस्तावित है। |
| 5.       | उपरोक्त के अतिरिक्त लाभान्वित ग्राम एवं existing roads network को भी KML file पर अंकित कराया जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                       | लाभान्वित ग्राम डिरनाड को KML में दर्शाया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.       | Shape of KML file and digital map of CA area are not matching. State Govt. may correct the same and submit/upload the revised digital map in original.                                                                                                                                                                                                                   | Shape of KML file and digital map of CA area को ठीक कर दिया गया है तथा अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.       | CA scheme is prepared for Rs. 14,69,292/- but in the last para Rs. 17,18,527/- @ approved rate mentioned. State Govt. may prepare the CA scheme for Rs. 17,18,527/-.                                                                                                                                                                                                     | CA scheme को सही कराकर upload कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.       | State Govt. may submit the tree enumeration list in original copy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पेड़ों की गणना की सूची हार्ड कॉपी में जमा कर दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.       | Non forest land identified for muck disposal has not been added in the village-wise breakup in para-B-2.3. State Govt. may upload the correct information in para-B-2.3 of part-I.                                                                                                                                                                                       | village-wise breakup in para-B-2.3 कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.      | In para-B-2.4 (Component wise breakup) the non forest land required for muck disposal is mentioned as 0.597 ha but the area of non forest land for muck disposal comes to 0.56 ha in one document and 1.57 ha in the other document of muck disposal plan submitted in hard copy. State Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information. | प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा कुल 1.57 हे० non forest land में as muck disposal चयन किया हुआ है जिसमें से केवल 0.597 हे० भूमि को ही muck disposal हेतु प्रस्तावित किया गया है। यदि भविष्य में muck अत्यधिक मात्रा में निकलता है, शेष (1.57-0.597 हे० = 0.973 है) में muck disposal किया जायेगा।                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Justificatino for locating project in forest land uploaded at para-D(i) of Part-I is not satisfacoty. Moreover, the alternate alignment is shown along proposed alignment that too over half of the length only which is also not satisfactory. State Government may submit/upload the clear justification of the proposal road at para-D(i) of Part-I and also submit the justification regarding alternate alignment as it is shown along the proposal alignment. | Justification for locating project in forest land uploaded at para-D (i) of Part-I satisfacoty |
| 12. | In para-4(i) of Part-II, Eco class is mentioned as Eco class-V but is likely to be eco class- VI. State Govt. may upload the correct information in this regard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।                                                       |
| 13. | In para-14 of Part-II, CA stipulated is not commensurate to forest land diverted. State Govt. may provide correct information at para-14 of online Part-II in district profile.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।                                                       |

(इं० बी०सी० पन्त)  
अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि०, कालसी  
19/12/20 19/12/20

पत्र सं०: /

दिनांक: /02/2020

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, एफ.आर.आई., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड  
लो०नि०वि०, कालसी

(प्रपत्र-13(b))

## Justification of Land

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेंगे। इस मोटर मार्ग से 1800 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेंगे एवं इससे देश की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इस मोटर के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होंगे जिससे स्थानीय निवासियों एवं सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती-बाड़ी के कामों में लग जाते हैं। लेकिन मोटर मार्ग बनने से स्थानीय बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सकें एवं शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेंगे एवं यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख-रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम डिरनाड जिनकी जनसंख्या को जोड़ा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से पिछड़े गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

  
अपर सहायक अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0  
कालसी

  
सहायक अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0,  
कालसी

  
अधिसासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0  
कालसी

  
वन विभाग अधिकारी  
बाबर खोर रेंज  
डिरनाड / कण्डोला

  
वन विभाग अधिकारी  
बाबर खोर रेंज  
कालसी

  
प्रभोगीय वनाधिकारी  
वन विभाग  
कालसी (टेडगाट्स)



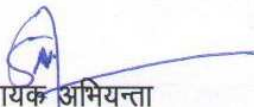
परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि (3.385 हे०) के सम्बन्ध में।

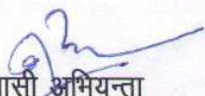
वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (निर्माण खण्ड) कालसी के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के (7.50 कि.मी.) स्टेज-। प्रथम के नव निर्माण में आने वाली वन भूमि (3.0835 हे०) हेतु प्रस्तावित है जिसकी ऑनलाईन प्रोजेक्ट संख्या P/UK/ROAD/34380/2018 है। उक्त मोटर मार्ग को कथियान मोटर मार्ग से 7.50 कि.मी. लम्बाई में जोड़ने हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्राम डिरनाड के ग्रामीण मात्र 7.50 की दूरी में कथियान मार्ग से जुड़ते हैं। जिस कारण उन्हें राजकीय अस्पताल, उच्च शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ग्राम डिरनाड तक पूर्व में एक जीप रोड बनी हुयी है जिस हेतु इसी समरेखण का ग्रेड सुधार कर पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा मार्ग बनाया जायेगा। इस मोटर मार्ग पर ही समरेखण ले जाने से वृक्षों का पातन भी कम से कम हो रहा है। यदि अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु नया समरेखण का प्रस्ताव गठित किया जाता है तो प्रक्रिया में काफी समय लगेगा जिस हेतु कम से कम 2 से 3 माह भी लग सकते हैं तथा नये प्रस्ताव को पुनः ऑनलाईन करना पड़ेगा।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में ही वैकल्पिक समरेखण को निरस्त किया गया है।

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि०, कालसी

  
अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, निर्माण खण्ड,  
लो०नि०वि०, कालसी